राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–7/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः– राज्य में ''विकसित भारत–जन सेवा अभियान'' के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में।

संदर्भः– मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त राजकाज क्रमांक 24537378 दिनांक 15.09.2026 एवं विभागीय राजकाज क्रमांक 24589267 दिनांक 18.09.2026 के क्रम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में जनसेवा, सामाजिक सरोकार एवं सुशासन की भावना को सुदृढ़ करने, विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी को व्यापक स्तर पर पहुँचाने तथा विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में आमजन, किसानों, महिलाओं, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चत करने के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 17 सितम्बर, 2026 से ''विकसित भारत–जन सेवा अभियान'' का आयोजन किया जाना है। उक्त सेवा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों/आमजन के साथ संवाद, प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन कर केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं की जानकारी संबंधी कार्य एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन–भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता एवं सामुदायिक सेवा से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इस हेतु विभागीय राजकाज क्रमांक 24589267 दिनांक 18.09.2026 द्वारा विस्तृत दिशा –निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु पंचायती राज विभाग के पंत्राक 347 राजकाज क्रमांक 13247621 दिनांक 28.01.2025 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के बिन्दु संख्या–(अ)(3)(xiii) के अनुसार विशिष्ठ प्रावधान है।

अतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या (अ)(3)(xiii) के अंतर्गत दिनांक 19.09.2026 से 25.09.2026 तक राज्य में ''विकसित भारत–जन सेवा अभियान'' के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर के आयोजन हेतु टेन्ट, फर्नीचर, दरी, पेयजल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था व्यवस्थित रूप से, इन्टरनेट कनेक्टीविटी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित व्यय करने हेतु प्रति पंचायत समिति अधिकतम राशि रू. 25,000/– एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन–भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता एवं सामुदायिक सेवा से सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति ग्राम पंचायत अधिकतम राशि रू. 10,000/– के व्यय/उपयोग की भूतलक्षी स्वीकृति षष्ठम् राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान राशि से प्रदान की जाती है।

यह सहमति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 332601518 दिनांक 18.09.2026 द्वारा अनुमोदित है।

(जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.09.19 10:10:45 IST
Reason: Approved

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./परावि/एसएफसी–7/2025–26/ जयपुर, दिनांकः–

RajKaj Ref No.: 24616049
M e-Sign

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, पंचायतीराज विभाग।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना।
11. संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग), पंचायती राज विभाग।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेल, विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.09.19 10:10:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24616049

M e-Sign